

मध्यप्रदेश शासन  
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 1566 / 495 / 2022 / अ-73  
प्रति,

भोपाल, दिनांक : 25/07/2022

उद्योग आयुक्त,  
उद्योग संचालनालय म.प्र.  
भोपाल।

विषय-एमपी स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2022 एवं उसाके अंतर्गत प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश में व्याख्या/स्पष्टीकरण के संबंध में।

संदर्भ-उद्योग संचालनालय का पत्र क्र. 3/स्टार्टअप/2019/763, दिनांक 21.06.2022

विषयाकित एवं संदर्भित पत्र के प्रस्ताव अनुसार तथा एमपी स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2022 के नियम 83 में विभाग को प्रदत्त अधिकार के परिप्रेक्ष्य में एमपी स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2022 के संबंध में निम्नानुसार व्याख्या/स्पष्टीकरण जारी किया जाता है-

क्र	नियम	वर्तमान प्रावधान	व्याख्या / स्पष्टीकरण
1	6.3.1	प्रदेश में स्थापित स्टार्ट-अप एवं इन्क्यूबेटर्स प्राप्त निवेश पर सहायता - ऐसा स्टार्ट-अप जिसमें सेबी (Security and Exchange Board of India)/RBI द्वारा अधिमान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान से फंड/निवेश प्राप्त किया गया हो तो प्राप्त प्रथम निवेश के 15 प्रतिशत की दर से अधिकतम रूपए 15 लाख की सहायता दी जावेगी। यह सहायता स्टार्ट-अप के जीवन काल में अधिकतम चार चरणों में प्राप्त निवेश पर प्रत्येक के लिए पृथक-पृथक अधिकतम 15 प्रतिशत की दर से देय होगी।	प्रदेश में स्थापित स्टार्ट-अप एवं इन्क्यूबेटर्स प्राप्त निवेश पर सहायता - ऐसा स्टार्ट-अप जिसमें सेबी (Security and Exchange Board of India)/RBI द्वारा अधिमान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान /अनुसूचित बैंक/अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फण्ड से फण्ड/निवेश (Equity/Debt) प्राप्त किया गया हो तो प्राप्त प्रथम निवेश के 15 प्रतिशत की दर से अधिकतम रूपए 15 लाख की सहायता दी जावेगी। यह सहायता स्टार्ट-अप के जीवन काल (भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग की अधिसूचना दिनांक 19 फरवरी 2019 में निहित परिभाषा अनुसार) में अधिकतम चार चरणों में प्राप्त निवेश पर प्रत्येक के लिए पृथक-पृथक अधिकतम 15 प्रतिशत की दर से देय होगी अर्थात स्टार्टअप के सम्पूर्ण जीवनकाल में इस मद में प्राप्त सहायता 60 लाख से अधिक नहीं होगी। ऋण प्राप्त स्टार्टअप के परिप्रेक्ष्य में ऋण अदायगी की समयावधि एक वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।

क्र	नियम	वर्तमान प्रावधान	व्याख्या/स्पष्टीकरण
		उक्त परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश में स्थित संबंधित इन्क्यूबेटर्स को रूपए 5 लाख सहायता दी जावेगी।	उक्त परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश में स्थित संबंधित इन्क्यूबेटर्स को स्टार्टअप को प्राप्त होने वाली प्रथम चरण में सहायता का 33 प्रतिशत, अधिकतम रूपए 5 लाख सहायता दी जावेगी। उक्त सहायता स्टार्टअप द्वारा वित्तीय सहायता आवेदन में उल्लेखित इन्क्यूबेटर को ही प्राप्त होगी।
		महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप्स को अतिरिक्त 20 प्रतिशत की सहायता।	महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप्स को अतिरिक्त 20 प्रतिशत की सहायता जिसमें प्राप्त फंडिंग/निवेश पर प्राप्त होने वाली 15 प्रतिशत सहायता के साथ उसका 20 प्रतिशत अतिरिक्त अर्थात् प्राप्त फंडिंग/निवेश का कुल 18 प्रतिशत अधिकतम रूपये 18 लाख एवं चार चरणों में अधिकतम रूपये 72 लाख की सीमा अंतर्गत, शेष शर्त यथावत।
		आयोजन सहायता- स्टार्टअप से संबंधित कार्यक्रम के आयोजन के लिये मध्यप्रदेश में स्थित इन्क्यूबेटर्स को रूपये 5 लाख प्रति आयोजन की सहायता जो रूपये 20 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी।	आयोजन सहायता- स्टार्टअप से संबंधित कार्यक्रम के आयोजन के लिये मध्यप्रदेश में स्थित इन्क्यूबेटर्स को रूपये 5 लाख प्रति आयोजन की सहायता जो रूपये 20 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी। यह सहायता मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर की अनुशंसा पर राज्य स्तरीय सहायता समिति द्वारा आयोजन पूर्व अनुमोदन प्राप्त होने पर ही देय होगी।
		इन्क्यूबेशन उन्नयन सहायता - इन्क्यूबेटर्स के उन्नयन हेतु रूपये 5 लाख की एक मुश्त सहायता, किंतु इस सुविधा का लाभ लेने हेतु प्रत्येक इन्क्यूबेटर को उसकी विद्यमान सीट क्षमता में 20 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि करनी होगी। यह सुविधा इन्क्यूबेटर के संपूर्ण जीवनकाल में केवल एक बार प्राप्त होगी।	इन्क्यूबेशन उन्नयन सहायता- इन्क्यूबेटर्स के उन्नयन हेतु रूपये 5 लाख की एक मुश्त सहायता, किंतु इस सुविधा का लाभ लेने हेतु प्रत्येक इन्क्यूबेटर को उसकी विद्यमान सीट (वर्कस्टेशन) क्षमता में 20 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि एवं न्यूनतम 2 स्टार्टअप्स हेतु अतिरिक्त स्थान निर्मित करना होगा। यह सुविधा इन्क्यूबेटर के संपूर्ण जीवनकाल में केवल एक बार प्राप्त होगी।
		पेटेंट सहायता- पेटेंट प्राप्त करने हेतु रूपये 5 लाख की अधिकतम सहायता, इस शर्त के साथ कि, पेटेंट प्रदेश में स्थापित स्टार्टअप के लिये प्राप्त किया गया हों।	पेटेंट सहायता- पेटेंट प्राप्त करने पर किये गये वास्तविक व्यय की 100 प्रतिशत अधिकतम रूपये 5 लाख की प्रतिपूर्ति सहायता, इस शर्त के साथ कि, पेटेंट प्रदेश में स्थापित स्टार्टअप के लिये प्राप्त किया गया हों।

क्र	नियम	वर्तमान प्रावधान	व्याख्या / स्पष्टीकरण
2	6.3.3	राज्य नवाचार चुनौती (State Innovation Challenge) अन्तर्गत वित्तीय सहायता/गैर वित्तीय सहायता -	राज्य नवाचार चुनौती (State Innovation Challenge) अन्तर्गत वित्तीय सहायता/गैर वित्तीय सहायता -
		समस्त आवश्यक अनुज्ञप्ति/सम्मति शुल्क से छूट अथवा प्रतिपूर्ति एवं कार्योत्तर स्वीकृति।	समस्त आवश्यक अनुज्ञप्ति/सम्मति शुल्क से छूट अथवा प्रतिपूर्ति एवं कार्योत्तर स्वीकृति। इस सहायता की सीमा अधिकतम रुपये 5 लाख होगी।



(शशि भूषण सिंह)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग

भोपाल, दिनांक : 25/07/2022

पृ. क्रमांक 1567 /495/2022/अ-73

प्रतिलिपि:-

प्रबंध संचालक, म.प्र. लघु उद्योग निगम, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी

मध्यप्रदेश शासन,

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग